

मोतीराम/27211

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06.08.20

45/2017

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पञ्चवती पेशवा नमुस्मान उयन
वकील प्रशिक्षण क्र. 1.2 के अन्तर्गत
पञ्चवती वर निवेदन किया की
में अन्तर्गत वरस के लिये तैयार रहे
हैं कि वरस अन्तर्गत वरस
हैं इस पर वकील प्रशिक्षण क्र. 1.2
हुए अन्तर्गत किया की प्रकरण नमुस्मान
के अन्तर्गत वरस के लिये तैयार हैं
कि वरस पञ्चवती की स्थिति एवं प्रकरण -
प्रकरण लिये के कारण वकील प्रशिक्षण
की इच्छा को अन्तर्गत किया गया
नया वकील प्रशिक्षण की वरस हुनी गई
वकील प्रशिक्षण की वरस एवं सबिष -
पाठ्य (मोका प्रशिक्षण) के अन्तर्गत
प्रशिक्षण का प्रकरण ही अन्तर्गत किया गया
उक्त अन्तर्गत अन्तर्गत प्रकरण अन्तर्गत
निलून निर्णय प्रकरण ले लिया गया -
हाकर वरस अन्तर्गत शा. विधाय -
किया गया

पञ्चवती पेशवा सुभार वेकर
वरस हाकर सीनल रपवद ये

अपविष्ट अधिकारी
खीकसा (नागौर)

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त नजीर प्रस्तुत कि, की

of Revenue For Rajasthan Ajmer. Moolchand & Ors. Vs. Shyamlal & Ors.

019 (1) पेज संख्या 574

half of the revisionists, it was argued that before passing an order under
n 251 (A) of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the Trial Court should be
ed that : -


he necessity of the applicant (s) is absolute and it is not for mere convenient
ment of holding and

articularly in case of a new way through another khatedars holding, that
e of alternative neans of access is proved.


नजीर पूर्ण रूप से उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पूर्व न्यायालय आदेश दिनांक 01.06.2017 को यथावत रखा
तथा तहसीलदार खींवसर को उक्त आदेश की प्रति भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता
आपकी मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते पर पड़े अवरोध को तत्काल हटवाया जाकर रास्ते को
नया जावे अगर आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।
उपरोक्त खसरांन पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत
जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।


राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 06.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर